इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई 2014—आषाढ़ 19, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2014

क्र. एफ-70-42-2003-तीन-नया-333.—संविधान के अनुच्छेद 243 यक एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन, 1994 के नियम 48 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु यह निर्देश देता है कि पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मतदाता से उसकी पहचान स्थापित करने हेतु निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा:—

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान-पत्र,
2. राशन कार्ड/नीला राशन कार्ड/पीला राशन कार्ड,
3. बैंक/किसान/डाकघर पासबुक,
4. शस्त्र लाइसेंस,
5. फोटो युक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि,
6. विकलांगता प्रमाण-पत्र,
7. निराश्रित प्रमाण-पत्र,
8. पासपोर्ट,
9. ड्राइविंग लाइसेंस,
10. आयकर पहचान-पत्र (पी. ए. एन. कार्ड),
11. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र,
12. छात्र पहचान-पत्र, (Student Identity Catd)
13. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रमाण-पत्र,

14. पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र,
15. रेलवे पहचान-पत्र,
16. स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र,
17. फोटायुक्त आधार कार्ड,
18. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची.

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दर्शाए गए किसी दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए उपयोग हेतु अनुमति दी जाएगी, इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती है.

2. यदि कोई मतदाता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय शासकीय विद्यालय के शिक्षक, उपलब्ध किसी शासकीय कर्मचारी अथवा किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित कराने के उपरांत, उसे मत देने हेतु अधिकृत कर सकेगा.

हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.